# प्रैस विज्ञप्ति

## दिनांक 12.08.2019

## थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 इन्वर्टर-बैटरा व 24 बैटरी छोटी, नकदी व चोरी की घटनाओं मे प्रयुक्त 01 होन्डा सिटी कार एवं अवैध असलहा, कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर श्री रवीन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.08.2019 को उ0नि0 रुस्तम सिंह मय उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराही के क्षेत्र मे संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि गश्त करते हुए कालाआम चौराहे पर आये तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होंडा सिटी कार में चोरी की बैटरियां भरी है जिनको बेचने के उद्देश्य से कुछ चोर डीएवी फ्लाईओवर निकट रेलवे लाइन के पास खडे है। इस सूचना पर उ0नि0 रुस्तम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी कर 03 अभियुक्तो को चोरी के 01 इन्वर्टर-बैटरा व 24 बैटरी छोटी, नकदी व चोरी की घटनाओं मे प्रयुक्त 01 होन्डा सिटी कार एवं अवैध असलहा सहित समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की तथा अभियुक्तो का एक साथी मौके से फरार हो गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-**

1- सुनील पुत्र स्व0 चन्द्रपाल निवासी अब्दुल्ला नर्सिंगहोम वाली गली भूड थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
2- रवि उर्फ ब्रेवो पुत्र रोहताश निवासी हुड्डी नम्बरदार वाली गली चारखम्बा के पास थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।
3- चन्द्रपाल पुत्र प्रेम हसीन सिंह निवासी मौ0 ढाकवाला कस्बा व थाना औरंगाबाद बुलन्दशहर।

**बरामदगी का विवरण-**

1- 01 होन्डा सिटी कार नं0-डीएल-3पीएके-4370 (चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त)
2- 01 इन्वर्टर-बैटरा
3- 24 छोटी बैटरियां एमरोन
4- 02 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 छुरी नाजायज
5- 800 रुपये नकद

अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19/07/19 की रात्रि मे राजेबाबू रोड पैरा जैसमीन एण्टर प्राइजेज दुकान का शटर काटकर 42 बैटरी चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-654/19 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 24 बैटरी बरामद हुई है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 08/07/19 की रात्रि मे चांदपुर रोड स्थित अनिल कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम नयागांव चांदपुर की दुकान से का शटर काटकर 01 इन्वर्टर, 07 बैटरे व 01 एलईडी चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-591/19 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 01 इन्वर्टर-बैटरा बरामद हुआ है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 15/06/19 की रात्रि मे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अम्बा कालौनी निवासी लोकेश राघव पुत्र जय सिंह के मकान से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-553/19 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत है। इस घटना को अभियुक्त रवि व सुनील द्वारा कारित किया गया था। घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 800 रुपये बरामद हुये है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा बुलन्दशहर के अतिरिक्त मेरठ में भी मकानो/दुकानों मे चोरी की घटनाएं कारित की गयी है जिनके बारे में सम्बन्धित जनपद/थानों से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-703 व 704/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व मुअसं-705/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 रूस्तम सिंह थाना कोतवाली नगर
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर
3. का0 पंकज कुमार, का0 अशोक कुमार, का0 दुर्गेश कुमार, का0 विशाल चौहान।